(ALL CA FOUNDATION BATCHES)

DATE: 12.01.2021 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3 Hours

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions. Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) **{**इस प्रश्न में पूछी गई समस्या जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अन्तर्गत आती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोनों पार्टियों में एक वैधानिक सम्बध स्थापित करने की मंशा निहित होनी चाहिए। सामाजिक या घरेलु सहमतियों में क्योंकि कोई वैधानिक सम्बंध स्थापित करने की भवना नहीं होती है इसलिए व वैधानिक अनुबंध नही होते है जिन्हें प्रवर्तनीय किया जा सकता है। यह सिद्धान्त बेल्फोर बनाम बेल्फोर (1912 2 के.बी. 571) के विवाद में स्थापित किया गया है।**} {3 M} {** इस प्रकार इस सिद्धान्त द्वारा जो कि इस विवाद मे स्थापित किया गया है बेटा अपने पिता से एक लाख रूपये की राशि उपरोक्त कारणों से नहीं उगाह सकता है।**} {1 M}**

Answer:

(b) आन्तरिक प्रबन्धन का सिद्धान्त –यह एक प्रकार का रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है जो यह कहता है कि आन्तरिक गतिविधियों का पता होना बाहरी व्यक्ति को जरूरी नहीं है। यदि कोई कार्य सीमानियम और अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत है तो बाह्य व्यक्ति यही मानेगा कि आन्तरिक गतिविधियां सूचारू रूप से संचालित की जा रही है। यह सिद्धान्त कहता है कि बाह्य व्यक्ति यह मानेगा कि कम्पनी का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वह उसको करने के लिए अधिकृत है और वह कार्य वैध होगा।
आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है उन लोगो के लिए, जो कम्पनी के साथ उनके संचालको या अन्य व्यक्ति के माध्यम से अनुबन्ध करते है। वो यह बाह्य पक्षकार मान सकते है कि संचालक उनके अधिकारियों ने सही तरीके से कार्य किया होगा। यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करते है।
यदि कोई कार्य अन्तर्नियम द्वारा अधिकृत है और विशिष्ट तरीके से किया गया है तो बाह्य पक्षकार यह मान सकता है कि उससे जरूरी आश्यकता औपचारिकताओं को कम्पनी ने पूरा कर लिय ा होगा। **{2 M}**

दी गई समस्या ने Mr. X ने Mr. Z को भुगतान किया है, और Mr. Z ने उसे रसीद भी जारी की है, इसलिए Mr. X यह मान सकता है कि Mr. Z वह भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। इस मामले में X अपने दायित्वों से मुक्त हो जायेगा, क्योंकि उसने जो भुगतान किया है वह कम्पनी के कर्मचारी को किया है, और उसके लिये उसने रसीद भी प्राप्त की है। **{2 M}**

Answer:

(c) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 37 के अनुसार – ''यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या साझेदार नही रहता और खातों का निपटारा नही किया जाता है तो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी और सेवानिवृत साझेदार को दो अधिकार मिलेगें:–
1. वह लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकता।
2. 60 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले सकता है। (जो भी लाभदायक हो) **{2 M}**

– इस मामले में A के उत्तराधिकारी के पास दो विकल्प होगे
A. 20 प्रतिशत लाभ में हिस्सा ले लो (साझेदारी संलेख के अनुसार) अथवा
B. 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले सकता है। **{2 M}**

Answer 2:

(a) अनुबंध की विशिष्ठता का सिद्धान्त :– यद्यपि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत किसी समझौते के लिए प्रतिफल किसी तृतीय पक्षकार द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन तृतीय पक्षकार समझौते पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। केवल अनुबंध का पक्षकार व्यक्ति ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसे ही अनुबंध की विशिष्ठता का सिद्धान्त कहते है। **{1 M}**

उपरोक्त नियम कि अनुबंध के प्रति अजनबी व्यक्ति वाद दायर नहीं कर सकता है ''अनुबंध की विशिष्टता का सिद्धान्त'' कहलाता है जो कई अपवादों से भी ग्रस्त है। दूसरे शब्दों में, यहॉ तक कि अनुबंध के प्रति अजनबी एक व्यक्ति निम्न मामलों में किसी दावे को प्रवर्त्तनीय करा सकता है:–

(1) प्रन्यास की स्थिति में, एक हितप्राप्तकर्ता प्रन्यास में अधिकारों को लागू कर सकता है, जबकि वह निपटानकर्ता तथा प्रन्यासी के मध्य अनुबंध का एक पक्षकार भी नहीं था।

(2) पारिवारिक निपटारे की स्थिति में, यदि निपटान की शर्ते लिखित रूप में हैं, तो परिवार के सदस्य जो मौलिक रूप से निपटारे के पक्षकार नहीं है, समझौते को प्रवर्त्तनीय करा सकेंगें।

(3) विशिष्ट विवाह अनुबंधों में, एक महिला सदस्य अविभाजित परिवार के विभाजन पर वैवाहिक व्ययों की व्यवस्थाकी मॉग कर सकती है।

(4) अनुबंध के समर्पण (हस्तांतरण) के मामले में, जब किसी अनुबंध के अन्तर्गत लाभ हस्तांतरण किया गया हो तो हस्तातंरी अनुबंध को प्रवर्त्तनीय करा सकता है।

(5) दायित्व को स्वीकार करके गत्यावरोध के मामले में या उसकी आंशिक निष्पत्ति में अर्थात् जब कोई दायित्व को स्वीकार करता हो। उदाहरण के लिए 'एल' 'एम' को 2,000 रूपये 'एन' को देने के लिए देता है। 'एम' 'एन' को सूचना देता है कि मैंने तुम्हारी राशि को रखा हुआ है परन्तु बाद में 'एम' उक्त राशि देने से मना कर देता है तो 'एन'यह राशि उससे लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।

(6) किसी बेनामी भूमि के मामले में जो व्यक्ति भूमि को इस सूचना के साथ क्रय करता है कि भूमि का स्वामी भूमि के स्वामित्व को प्रभावित करने वाले कुछ दायित्वों से जुडा हुआ है तो ऐसी बेनामी भूमि पर विक्रेता के उत्तराधिकारी द्वारा प्रवर्त्तनीय कराया जा सकता है।

(7) एक अभिकर्त्ता द्वारा किये गये अनुबंध – मालधनी अपने अभिकर्ता द्वारा किये गये अनुबंधों का प्रवर्तनीय करा सकता है जहॉ अभिकर्ता ने अपने अधिकार–क्षेत्र की सीमा में काम दिया है तथ मालधनी के नाम में किया हो।

{1 M for each correct 6 points}

Answer:

(b) वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 24 के अनुसार जब, कोई वस्तु क्रेता को ''विक्रय या वापसी'' के आधार पर दी जाती है तो विक्रय निम्न दशाओं में मान लिया जाता है।

(1) क्रेता क्रय के लिए अपनी सहमती दे दे।

(2) वह उचित समय बीत जाने के बाद भी माल पुनः ना लौटाये।

(3) कोई ऐसा कार्य करे जो यह दर्शता हो, उसने माल स्वीकार कर लिया है जैसे गिरवी, निक्षेप आदि। **{3 M}**

उपरोक्त मामले में जोशी ने जैसी ही कार श्री गणेश को गिरवी रखी, वह कारके मालिक बन गए और अब प्रीति कार वापिस नहीं मांग सकती, हालाकि प्रीति को अधिकार है कि वह कार की कीमत जोशी से प्राप्त करें। **{2 M}**

Answer 3:

(a) यह मामला वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 से संबंधित है।
जिसके अनुसार के व्यापारिक एजेन्ट–

(a) माल बेचने के लिए,

(b) माल खरीदने के लिए,

(c) माल पर धन जुटाने के लिए **{1 M}**

अधिकृत होता है। एजेन्ट से खरीदने पर क्रेता को अच्छा सत्व प्राप्त होगा यदि निम्न शूर्ते पूरी हों :

(a) एजेन्ट स्वामी की अनुमति से माल पर कब्जा रखे,

(b) एजेन्ट व्यवसाय के सामान्य परिचालन में माल को बेचे,
(c) क्रेता सद्विश्वास में खरीदे
(d) क्रेता को एजेन्ट के माल न बेचने के अधिकार के संबंध में कोई जानकारी ना हो। **{4 M}**

उपरोक्त मामले में J, A से कार का मूल्य वसूल नहीं कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) साझेदारियों के प्रकार (KINDS OF PARTNERSHIP)

अग्रलिखित चार्ट साझेदारी के विभिन्न प्रकारों को व्यक्त करता हैः–

साझेदारी के विभिन्न प्रकारों को नीचे दिया जा रहा है–

1. **अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वैच्छिक साझेदारी एक ऐसी साझेदारी है जब–**
   1. साझेदारी की अवधि के लिए किसी स्थिर अवधि के लिए सहमति नहीं हुई है, तथा
   2. साझेदारी के निर्धारण के प्रति कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। इन दोनों शर्तो को एक स्वैच्छिक साझेदारी के रूप में समझे जाने के लिए एक साझेदारी को संतुष्ट करना चाहिये। लेकिन जहाँ साझेदारों के बीच एक ठहराव हो या तो साझेदारी की अवधि के लिए या साझेदारी के निर्धारण के लिए, तो साझेदारी स्वैच्छिक साझेदारी नहीं होगी।

      जब एक साझेदारी एक नियत अवधि के लिए बने तथा ऐसी अवधि बीतने के बाद भी चलती रहे तो इसको एक स्वैच्छिक साझेदारी के रूप में माना जाना चाहिये।

      एक स्वैच्छिक साझेदारी को किसी साझेदार द्वारा समाप्त किया जा सकता है फर्म को समाप्त करने के लिए अपनी भावना अन्य सभी साझेदारों को लिखित में नोटिस देकर।
2. **एक नियत अवधि के लिए साझेदारी** (Partnership for a Fixed Period) – जहाँ साझेदारी की अवधि के लिए अनुबंध द्वारा व्यवस्था की जाती है तो साझेदारी को 'स्थिर अवधि वाली साझेदारी' कहा जाता है। यह एक ऐसी साझेदारी है जो समय की एक अवधि विशेष के लिए बनाया गया है। ऐसी एक साझेदारी नियत अवधि के बीतने पर समाप्त हो जाती है।
3. **विशेष साझेदारी** (Particular Partnership) – एक साझेदारी को एक एकाकी उपक्रम को पूरा करने के लिए तथा साथ ही सतत व्यवसाय के परिचालन के लिए संगठित किया जा सकता है। जहाँ एक व्यक्ति किसी उपक्रम विशेष में या संस्थान में एक साझेदार बनता है किसी उपक्रम या संस्थान विशेष में, तो साझेदारी को 'विशेष साझेदारी' कहा जाता है।

   एक साझेदारी जो एक एकाकी उपक्रम या कार्यक्रम के लिए बनाई गई है, किसी ठहराव की शर्त पर, उस उपक्रम या कार्यक्रम को पूर्णता द्वारा समाप्त की जाती है।
4. **सामान्य साझेदारी** (General Partnership) – जहाँ एक साझेदारी को सामान्यतः व्यवसाय के संबंध में बनाया जाता है तो यह सामान्य साझेदारी कहलाती है। एक साझेदारी विशेष की दशा में, साझेदारों का दायित्व केवल उस उपक्रम विशेष या संस्थान तक ही जाता है, लेकिन सामान्य साझेदारी की दशा में ऐसा नहीं है।

{$1^{1/2}$ M Each}

Answer 4:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 69 में यह प्रावधान है कि, ''जब एक व्यक्ति द्वारा भुगतान करने में उसका हित है'', तो दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए दायी है और वह उसका भुगतान कर देता है तो वह दूसरे व्यक्ति से इसकी भरपाई करा सकता है। **{3 M}**

दिये गये प्रशन में W ने Z की कानूनी रूप से देय राशि का भुगतान किया जिसके भुगतान में उसका हित है। इसलिए W , Z से दी गई राशि की भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) पूर्वाधिकार और माल को मार्ग में रोकने के अधिकार में अन्तर

(DISTINCTION BETWEEN RIGHT OF LIEN AND RIGHT OF STOPPAGE IN TRANSIT)

(i) पूर्वाधिकार का आशय माल पर विक्रेता का अधिकार बनाये रखता है जबकि माल को मार्ग में रोकने का अर्थ माल पर पुनः कब्जा प्राप्त करना है।

(ii) पूर्वाधिकार के सम्बन्ध में माल विक्रेता के कब्जे में होना चाहिये जबकि माल के मार्ग में रोकने के सम्बन्ध में (क) विक्रेता ने माल पर से कब्जा समाप्त कर दिया हो (ख) माल किसी मालवाहक के पास हो (ग) क्रेता ने माल को प्राप्त नही किया है।

(iii) पूर्वाधिकार उस स्थिति में भी प्रयोग किया जा सकता है जब क्रेता दिवालिया नही हुआ है। परन्तु माल को मार्ग में रोकने का अधिकार तभी प्रयोग किया जा सकता है जब क्रेता दिवालिया हो गया हो।

(iv) माल को मार्ग में रोकने का अधिकार वहाँ आरम्भ होता है जहाँ पूर्वाधिकार समाप्त होता है। इस प्रकार पुर्वाधिकार की समाप्ति माल को मार्ग में रोकने का अधिकार का प्रारम्भिक बिन्दु है।

{1 M Each}

Answer:

(c) **{**कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी के सभी सदस्यों की मृत्युः— एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी एवं टिकाऊ संस्था है। इसकी आयु इसके किसी अथवा सभी सदस्यों अथवा निदेशक (निदेशकों) की मृत्यु, दिवालियापन अथवा सेवानिवृति पर निर्भर नहीं है। अंशों का हस्तान्तरण योग्यता अथवा हस्तांकन योग्यता कम्पनी के शाश्वत अस्तित्व में सहायक है।कानून इसे उत्पन्न करता है तथा केवल कानून ही इसका समापन कर सकता है। सदस्य आये, सदस्य जाऐ, लेकिन कम्पनी हमेशा चलती रहती है।**}{2 M}**

{इसलिए ऐसी दशा में ABC प्राइवेट लि. का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। अंशो के हस्तांकन के द्वारा अंश उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांकित हो जाएगें। कम्पनी का अस्तित्व केवल समापन पर ही समाप्त होगा। इसलिए सभी सदस्यों की मृत्यु (यादि 5 सदस्य) से भी ABC लि. का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ।**}{2 M}**

Answer 5:

(a) (i) नमूने द्वारा बिक्री के अनुबंध में वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 17 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, एक निहित शर्त हैः

(a) सम्पूर्ण माल गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप होगा,

(b) क्रेता के पास नमूने के साथ सम्पूर्ण माल की तुलना करने का एक उचित अवसर होगा।

तत्काल मामले में, अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (2) के उप–खंड (बी) के प्रावधानों के प्रकाश में, श्रीमती गीता सफल नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने चावल के नमूने की लापरवाही से जांच की थी (जो वास्तव में नमूने के अनुरूप था) इस तथ्य के बिना कि यह नमूना भले ही बासमती चावल का था, लेकिन इसमें लंबे और छोटे अनाज का मिश्रण था। **{2 M}**

(ii) नमूने द्वारा बिक्रीः यदि वस्तु का विक्रय नमूने के आधार पर किया जाता है तो यह गर्भित शर्त है कि सम्पूर्ण माल नमूने के अनुसार होना चाहिये।

नमूने द्वारा बिक्री के अनुबंध में वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 17 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, एक निहित शर्त हैः

(a) कि थोक गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप होगा,

(b) कि खरीदार के पास नमूने के साथ थोक की तुलना करने का एक उचित अवसर होगा।

(c) कि माल किसी भी दोष से मुक्त होगा, उन्हें अप्राप्य प्रदान करेगा, जो नमूना की उचित परीक्षा पर स्पष्ट नहीं होगा। **{2 M}**

(iii) तत्काल मामले में, क्रेता के पास शिकायत निवारण के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। **{1 M}**

(iv) यदि श्रीमती गीता ने चावल की लंबाई के रूप में उसकी सटीक आवश्यकता को निर्दिष्ट किया है, तो एक निहित शर्त है कि माल विवरण के अनुरूप होगा। यदि ऐसा नहीं है, तो विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। **{1 M}**

Answer:

(b) LLP के समामेलन के विभिन्न चरणः

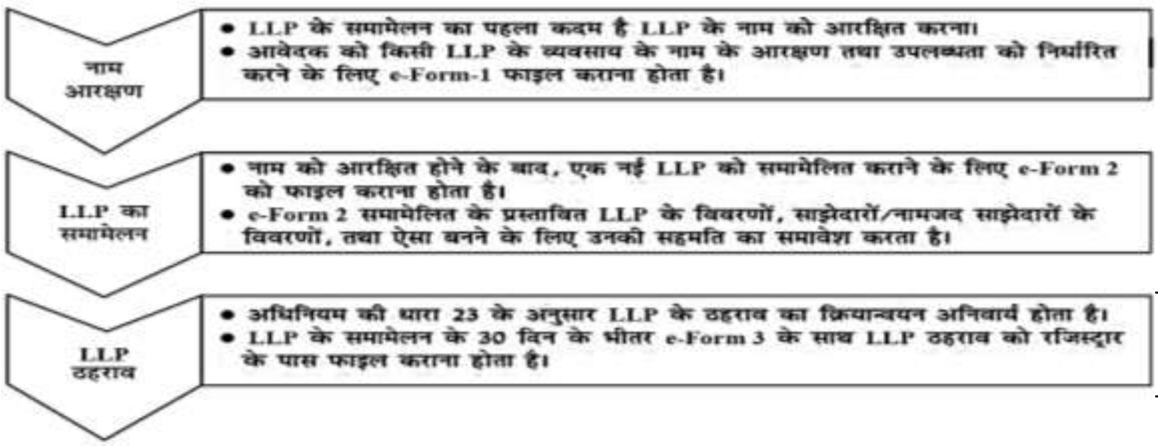

{2 M} {2 M} {2 M}

Answer 6:

(a) **आन्तरिक प्रबंध का सिद्धांत (Doctrine of Indoor Management):–** यह रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है। जब कोई भी व्यक्ति कम्पनी के साथ अनुबंध करता है। तो यह माना जाता है। कि उसने सीमानियम व अर्न्तनियम की जॉच कर ली है। परन्तु उस पक्षकार का यह दायित्व नही है। कि वह कम्पनी के आंतरिक मामला कि जॉच करें। उदाहरण के रूप में यदि एक कार्य सीमानियम व अंर्तनियम में अधिकृत है तो बाध्य पक्षकार यह मान सकता है। कि कम्पनी ने आवश्यक औपचारिकताओं का पालन कर लिया होगा। {1 M}

Royal British Bank V/s Turquand:– इस मामले में दिवालिया कम्पनी के संचालक अर्न्तनियम के अनुसार बॉण्ड जारी करके सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके निर्धारित की गई, धनराशि उधार ले सकते थे। संचालको ने बिना कोई प्रस्ताव पास करे Royal British Bank को एक बॉण्ड जारी कर दिया। यह निर्णय दिया गया कि बॉण्ड के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है क्योकि Bank यह मानने का अधिकारी है। कि कम्पनी ने आवश्यक प्रस्ताव पारित कर लिया होगा। {1/2 M}

अपवादः–

1. **जब बाहरी पक्षकार को अनियमितता कि स्पष्ट या रचनात्मक जानकारी होः**
   Howard V/s Patent Ivory manufacturing company.
   संचालक जिन्हें ऋणपत्र जारी किए गए है, वह यह बचाव नही ले सकते। क्योंकि उन्हें इस बात कि जानकारी थी। कि कम्पनी द्वारा ऋण लेने के लिए सामान्य सभा मे सदस्यों कि सहमति अनिवार्य है। {$1^{1/2}$ M}

2. **अनियमितता का संदेह /लापरवाही या अनदेखीः** आंतरिक प्रबंध का सिद्धान्त उन पर भी लागू नही होता जो इन प्रपत्रों की अनदेखी करते है। इसलिए, यदि कम्पनी का कोई अधिकारी कोई ऐसा काम करता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नही हो तब पहले अनुबंध करने वाले व्यक्ति को इस संबंध मे जो जॉच कर लेनी चाहिए और अपने आपको इस सम्बंध में संतुष्ट कर लेना चाहिए। यदि वह ऐसा काम करने में असफल होता है। तो उसे इस सिद्धात का सहारा नही लेने दिया जाएगा।
   वादः– आनन्द बिहारी लाल बनाम दिनशा एण्ड कं. (बैंकर्स) लि. के वाद में यह बताया गया है कि कम्पनी के लेखापाल ने कम्पनी की कुछ सम्पतियॉ आनन्द बिहारी लाल के पक्ष में अंतरित कर दी। इस पर जब आनंद बिहारी के द्वारा वाद लाया गया तो न्यायालय ने कहा कि ये अनुबंध व्यर्थ है क्योंकि कम्पनी के लेखापाल के द्वारा कम्पनी की सम्पत्ति को बेचने का कोई भी स्पष्ट अधिकार नहीं था। {$1^{1/2}$ M}

3. **जालसाजीः–** यदि जाली हस्ताक्षर किए जाते है। तो आन्तरिक प्रबंध के सिद्धांत का बचाव नही लिया जा सकता क्योंकि जालसाजी शून्य होती है। {$1^{1/2}$ M}

Ruben V/s Great Fingall consolidated-

तथ्य – इस मामले में कम्पनी सचिव ने अंश प्रमाण पत्र पर कम्पनी कि सार्वमुद्रा लगा दी थी और दो संचालकों के जाली हस्ताक्षर मारकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। वादी ने आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का बचाव लिया।

निर्णय – यह निर्णय दिया गया कि वह सफल नही होगा। क्योंकि जालसाजी शुन्य होती है।

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 में अनुबंध भंग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जब अनुबंध भंग होने के कारण एक पक्ष को हानि हो तो वह पक्ष अनुबंध भंग के लिए दोषी पक्ष से प्राकृतिक रूप से सौदों के सामान्य व्यवहार के अन्तर्गत अनुबंध भंग के कारण होने वाली हानि, जो अनुबंध करते समय दोनों पक्षों की जानकारी में थी, प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार का हर्जाना दूर के किसी कारणवश अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि के लिए नहीं दिया जाता। इस धारा के स्पष्टीकरण में आगे बताया गया है कि हानि का अनुमान लगाते समय उन साधनों को ध्यान में रखा जाए जो अनुबंध भंग से होने वाली हानियों या असुविधा को कम कर सकते थे। **{3 M}**

उपर्युक्त कानून के सिद्धान्त को प्रश्न में पूछी गयी समस्या पर लागू करते हुए M लि. अनुंबध भंग के कारण प्राकृतिक रूप से हुई रू. 1.25 लाख (रू. 12.75 – 11.50 = रू. 1.25) की हानि को पूरा करने के लिए दायी है। **{$1^{1/2}$ M}**

शान्ति ट्रेडर्स द्वारा जैनिथ ट्रेटर्स को दिये जाने वाले हर्जाने के सम्बंध में दिये जाने वाली हर्जाने की राशि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि क्या M लि. को शान्ति ट्रेडर्स द्वारा निर्दिष्ट तिथि को जैनिथ ट्रेडर्स को दी जाने वाली मशीनरी के अनुबंध की जानकारी थी? यदि जानकारी थी तो M लि. को शान्ति ट्रेडर्स द्वारा जैनिथ ट्रेडर्स को दिये जाने वाले हर्जाने की भी भरपाई करनी होगी अन्यथा M लि. दायी नहीं है। **{$1^{1/2}$ M}**

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a)
(1) Option c
(2) Option d
(3) Option b
(4) Option a
(5) Option c
{1 Mark Each}

Answer:

(b) Playing of National anthem in movie halls (Heading) **{1 M}**

(I) The Court's ordr wdrwn
(II) Court mks it optional; cnnt have a mandate on the issue
(III) Consequences
  (a) Govt intervenes; calls for a mnstrl dscsn
  (b) Prps a hold on the court's jdcl rule
  (c) Suggest chngs in the Prvntn of Insults and Ntnl honour Act
{1 M}

(IV) Justice Chadrachud suggests, no end to 'moral policing'
(V) Cnseqncs
  (a) Vlnce amngst ppl.
  (b) Hrsmnt of pub.
  (c) Dsrspct in the scty.
{1 M}

Key Used:
(1) Ordr= order
(2) Wdrwn= withdrawn
(3) Mks= makes
(4) Cnnt= cannot
(5) Govt= government
(6) Mnstrl=ministerial
(7) Dscsn=discussion
(8) Prps=proposes
(9) Jdcl=judicial
(10) Chngs= changes
(11) Prvntn=prevention
(12) Ntnl= national
(13) Cnseqncs= consequences
(14) Vlnce=violence
(15) Amngst= amongst
(16) Ppl= people
(17) Hrsmnt=harassment
(18) Pub=public
(19) Dsrspct=disrespect
(20) Scty= society
{Any 5 Keys 2 Marks}

Answer 8:

(a) Letter

Manager Operations and Admin 15th Feb, 2019
Net Solutions
Mumbai

Administration Head
Food for you Solutions
Mumbai {1 M}

Dear Sir/Madam
Sub: Complaint against food quality {1 M}

This with reference to the food supplied to our cafeteria by your company's kitchen. Unfortunately, for the past few weeks, we have observed that the quality of food items, especially rice, wheat flour and pulses has degraded considerably.
A few of our employees complained of ill health after having consumed your food. I presume stale food is not being sent to us.
Kindly assure that the raw material you use is of high quality standards and is ISI approved.
I request you to look into this matter urgently and present a report within 2 days time to avoid a stern action. {2 M}

Thanks and Regards,

Name
Manager, Ops and Admin
Net Solutions

(Signed)
Manager, Office and food supplies ltd. {1 M}

Answer:

(b) Nonverbal communication is the process of communicating by sending and receiving wordless messages. These messages can aid verbal communication, convey thoughts and feelings contrary to the spoken words or express ideas and emotions on their own. Some of the functions of nonverbal communication in humans are to complement and illustrate, to reinforce and emphasize, to replace and substitute, to control and regulate, and to contradict the denoted message {1 M}

- Physical nonverbal communication: An individual's body language that is, facial expressions, stance, gestures, tone of voice, touch, and other physical signals constitute this type of communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonistic or defensive posture.
- Paralanguage: The way you say something, more than the actual words used, reveal the intent of the message, The voice quality, intonation, pitch, stress, emotion, tone, and style of speaking, communicates approval, interest or the lack of it.
- Aesthetic communication: Art forms such as dancing, painting, sculptor, music are also means of communication. They distinctly convey the ideas and thoughts of the artist.
- Appearance: Appearance is usually the first thing noticed about a person. A well dressed and groomed person is presumed to be organized and methodical, whereas a sloppy or shabby person fails to make a favourable impression.

{Any 2 Points Each 1/2 Mark}

Therefore, dressing appropriately in all formal interactions is emphasized. The dress code in office is generally formal. It constitutes of formal suits, trousers with plain white or light coloured shirts and leather shoes. Bright colours, jeans, T - shirts, especially with slogans and other informal wear are frowned upon. For women formal two-piece trouser or skirt sets or formal ethnic wear like sarees, is permissible.

- Symbols such as religious and status.

Answer:

(c) (i) c (known)

(ii) Women led a conservative lifestyle in olden days

(iii) The girl asked where I lived?

{Each 1 Mark}

Answer 9:

(a) **Language and Gender** **{1 M}**

The word 'gender' used in two contexts, first for grammatical gender and second biological gender. Language is influenced by gender. Women tend to use more standard language than men (perhaps due to their position in western societies). **{2 M}** On the other hand they also tend to be at the forefront of linguistic innovations. A woman tends to good in verbalization. **{2 M}**

Answer:

(b) **Informal communication:** Informal Communication is the casual, friendly and unofficial. It is spontaneous conversation and exchange of information between two or more persons without conforming to the prescribed official rules, processes, systems, formalities and chain of command. **{1 M}**

Informal communication is between family, friends, neighbors, members of the community and other social relations that are based on common interests, tastes and dispositions. Information can flow from any source in any direction. **{1 M}**

Employees in an organization interact with each other outside the formal domain. Such communication is called 'grapevine' - gossip in the office. Employees of different departments and varied levels meet and discuss matters casually and informally. The grapevine satisfies the social needs of the people and helps in building relationships. It is also useful in addressing certain needs and grievances of employees. **{1 M}**

Answer:

(c) 1. The obstacle course was run by me in record time.

2. Costs would be reduced by us if we use less paper.

{1 M each}

Answer 10:

(a) Wheel & Spoke Network:

This is an organization where there is a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees working under him/her. All employees get instructions directly from the leader and report back to him/her. It is direct and efficient for a small business/company, but inappropriate way of communication in **{1 M}** a large organization with many people. A company with many employees needs more decision makers or nothing would get done. Can a large conglomerate like Reliance or Tata Sons have one person making decisions? Moreover, if the central figure is not competent, the entire business will suuer. **{1 M}**

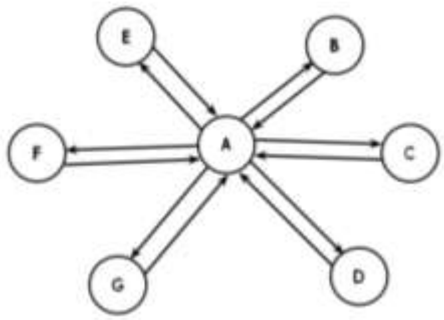

Wheel and Spoke Network

{1 M}

Answer:

(b) (i) Teacher appreciated the girl that she had been working hard
(ii) Uncle complained that he was unwell.
{1 Mark Each}

Answer:

(c) (i) Aditya Narula Resume hints

Following is a standard format, with subheadings for fresher like Aditya:

- Name and contact details
- Objective Summary
- Academic Qualifications and Achievements
- Co-curricular Achievements
- Training Programs attended/completed
- Strengths
- Interests/Hobbies
- Declaration
- Signature

{1/2 For Mark Each Point}

Answer 11:

(a) Barriers in communication:

- Physical Barriers
- Cultural Barriers
- Language Barriers
- Technology Barriers
- Emotional Barriers

{1 M}

Technology Barriers: Being a technology driven world, all communication is dependent on good and extensive use of technology. However, there might arise technical issues, like server crash, overload of information etc which lead to miscommunication or no communication at all. {1 M}

Language Barriers: It's a cosmopolitan set up, where people of different nationalities move from their home to other countries for work. As a result, it is difficult to have a common language for communication. Hence, diversity gives rise to many languages and it acts as a barrier at times. {1 M}

Answer

(b) **(i)** Direct to Indirect Speech:

The athlete said that he could break all records }{1 M}

Answer:

(b) **(ii)** Synonyms
Option c **}{1 M}**

Answer:

(c) Television: Bane or Boon (Title) **{1 M}**

Television affects our lives in several ways. We should choose the shows carefully. Television increases our knowledge It helps us to understand many fields of study. **{2 M}**

It benefits and people and patients. There are some disadvantages too some people devote a long time to it. Students leave their studies and it distracts their attention. **{2 M}**

—**—